

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, केरला, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT II), KERALA
THIRUVANANTHAPURAM

सं.लेप-II/प्रशा. वि.श.प्र./14-1/2024-25/
No. Au.II/Admin D.F.P/14-1/2024-25/

दिनांक: 02.09.2024

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER No. 09

विषय: वित्तीय शक्तियों का पुनःप्रत्यायोजन – वावट्

Sub: Re-delegation of Financial Powers – reg.

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 13(3) एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों (प्रशासनिक) की नियम-पुस्तिका, खण्ड II के धारा 'क' के अंतर्गत क्रम सं.7 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं ए.एम.जी I), मुख्य कार्यालय, तिरुवनंतपुरम तथा वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए.एम.जी III), शाखा कार्यालय, तृशूर को निम्नलिखित के अधीन पुनःप्रत्यायोजित किया जाता है :

In exercise of the powers conferred under Rule 13(3) of the Delegation of Financial Power Rules, 1978 and Serial No. 7 under Section A of the Comptroller and Auditor General's Manual of Standing Orders (Administrative), Volume II, the financial powers delegated to the Principal Accountant General (Audit II), Kerala is hereby re-delegated to Senior Deputy Accountant General (Admn & AMG I), Main Office, Thiruvananthapuram and Senior Deputy Accountant General (AMG III), Branch office, Thrissur subject to the following:

1. वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते के लिए समूह अधिकारियों द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में अंतर्निहित सामान्य प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

Group Officers will follow general provisions contained in the General Financial Rules and delegation of Financial Powers Rules, 1978 in exercise of the financial powers.

2. उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि पुनःप्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), केरला के लिए उपलब्ध बजट आवंटन के भीतर हो।

They will ensure that the exercise of the re-delegated financial powers is within the budget allotment available for the Office of the Principal Accountant General (Audit-II), Kerala.

3. वित्तीय शक्तियों का संशोधित प्रत्यायोजन इस आदेश के जारी करने की तारीख से लागू होगा।

The revised delegation of powers will be effective from the date of issue of this order.

4. इस आदेश के जारी करने की तारीख से तीन वर्षों के अंत में शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा की जाएगी और उसे नवीकृत और संशोधित किया जाएगा।

The delegation of powers will be reviewed at the end of three years from the date of issue of this order or earlier and renewed and revised.



महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
Accountant General (Audit-II)

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रति निम्नलिखितों को अग्रेषित:
Copy forwarded for information and necessary action to:

1. व.उप म ले (प्रशासन एवं ए.एम.जी I)/ Sr. DAG (Admn& AMG I)
2. व.उप म ले (ए.एम.जी II)/Sr.DAG (AMG II)
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए.एम.जी III), शाखा कार्यालय, तृशुर
Sr.DAG(AMG-III), Branch office, Thrissur
4. प्र म ले के सचिव / Secretary to PAG
5. व. लेप.अ/ प्रशासन/ सामान्य / Sr.AO/Admn/General
6. व. लेप.अ/बिल्स, हक, रोकड / Sr.AO (Bills/Entt/Cash)
7. व. लेप.अ/का.स्था, प्र.मले (लेप-I) का कार्यालय, शा.का. तृशुर
Sr.AO(OE), O/o PAG (Audit-I), Branch office, Thrissur
8. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, प्र.मले (ले व ह) का कार्यालय, केरला
Pay and Accounts Officer, O/o the AG(A&E), Kerala